


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
29/24	212 RTA	खातोली	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
स्व0 भंवरलाल	बनाम	हेमलता	
वकील :-	श्री अशोक मेहता	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ
21.05.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्घे सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को पेश हो।		
1.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी 350/ अप्रार्थी कृष्ण 1 ता 13 की खोर ले श्री भावान कृष्ण बलरिप। एडवोकेट का द्वारा अडरटेकिंग पेश की है। अप्रार्थी कृष्ण 16 के बाद तामील सम्मन प्राप्त। अप्रार्थी कृष्ण 16 का कसूर सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। इनके विरुद्ध एड तरफा अप्रार्थी की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब/वकालतनामा दिनांक 14.8.24 को पेश हो।		
14.8.24	आज नैतारीन अधिकारी के अन्व-कार्य में व्याप्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20.8.24 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा (बारां)		
20.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकालत करीकेत 350/ जवाब प्रार्थी पत्र पेश नहीं हुआ। सम्मन चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब/वकालतनामा दिनांक 7.10.24 को पेश हो।		
7.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकालत करीकेत 350/ वकील अप्रार्थी द्वारा वकालतनामा/जवाब पेश नहीं हुआ। सम्मन चाहते हैं। कालिफ अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब/वकालतनामा दिनांक 20.11.24 को पेश हो।		

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	दिनांक
20.11.24	पत्रावली पेशा हुई। वकालत जारी करने तथा वकालतनामा एवं जवाब पेश नहीं हुआ। अतिरिक्त अग्रिम डिपॉजिट है। पत्रावली का वकालतनामा / जवाब दिनांक 7.1.25 को पेश है।	
7-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकालत जारी करने तथा वकालतनामा, पेश नहीं हुआ। अग्रिम पत्रावली जारी जवाब / वकालतनामा दिनांक 24-2-25 को पेश है।	
24-2-25	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 7-4-25 को पेश हो। [Signature] न्यायालय सहायक अधिकारी धर्मपुरा,	
7-4-25	पत्रावली पेश हुई। वकालत जारी करने तथा अग्रिम जवाब को आज पत्रावली पेश नहीं है। अंत में अग्रिम कला नहीं है। अग्रिम का जवाब पत्र अंत में अग्रिम किया जा रहा है। पत्रावली फिलहाल अग्रिम केवल वाद जारी रखने के दायरे में है।	Not mes [Signature]